उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2
संख्या- 45/2018/1001/71-2-2018-आरएम-9/2011
लखनऊ : दिनांक 13 मार्च, 2018

शुद्धि-पत्र

शासनादेश संख्या-38/2018/860/71-2-18-आर0एम0-9/2011, दिनांक 08 मार्च, 2018 द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के निर्माणाधीन एकेडमिक ब्लाक के निर्माण हेतु रू0 24,84,42,000/- की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

2- उक्त शासनादेश के प्रस्तर-3 की द्वितीय पंकित में अंकित "रू0 24,84,42,000/- (रूपया चौबीस करोड चौरासी लाख बयालिस हजार मात्र)" के स्थान पर **रू0 24,84,41,717/- (रूपया चौबीस करोड चौरासी लाख इक्तालीस हजार सात सौ सत्रह मात्र)" पढा एवं समझा जाय।**

3- उक्त शासनादेश दिनांक 08 मार्च, 2018 के प्रस्तर-3 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय तथा शेष शर्ते एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

डा0 रजनीश दुबे
प्रमुख सचिव।

संख्या- 45/2018/1001 (1)/71-2-18-तद्दिनांक

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. निदेशक/वित्त नियंत्रक, डा0 रा0म0लो0 आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
5. वित्त ई-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
6. स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0।
7. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
8. प्रभारी अधिकारी, एन0आई0सी0, छठा तल, योजना भवन।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।